एफएसएसएआई
fssai
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India

सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health and Family Welfare
GOVERNMENT OF INDIA

Media Compendium

Action on Adulterated Dairy Products

बरसाना में डेरी पर बन रहा था मिलावटी पनीर, 11 कुंतल जब्त

मुड़िया मेला में दुकानों पर पहुंचता मिलावटी पनीर

नगर संवाद

संक्षेप

मिलावटी पनीर बेचने व बनाने वाले के खिलाफ की गयी कार्यवाही

दैनिक भास्कर

मथुरा में फैक्ट्री के अंदर घातक रसायनों से तैयार किया जा रहा था पनीर

फैक्ट्री में सोयाबीन पाउडर, चूने का घोल, एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन पेराक्साइड जैसे रसायन का भंडार मिला

हिन्दुस्तान

बरसाना में 11 क्विंटल मिलावटी पनीर कराया नष्ट

#FSSAIinAction

#FSSAIinStates

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

575 litres of adulterated ghee, 7,000 kg of ginger-garlic paste seized in Hyderabad; here's what it can do to your body

Adulterated food products may not cause immediate harm, but long-term consumption can lead to serious health issues.

By: Lifestyle Desk

New Delhi | July 5, 2025 15:25 IST

What does adulterated ginger garlic paste look like? (Source: Freepik)

Food adulteration is at an all-time high, and the latest example has surfaced from Hyderabad, where a crackdown on illegal food manufacturing units has led to alarming discoveries. According to a report by The Hindu, authorities seized 575 litres of adulterated ghee and 7,000 kg of contaminated ginger-garlic paste from units operating across LB Nagar, Maheshwaram, Malkajgiri, and Bhongir.

These units were running without Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) approvals or trade licences. Officials also found expired raw materials, banned synthetic food colours, and highly unhygienic conditions.

While such headlines raise concerns about public health, it's crucial to understand the potential effects of consuming these adulterated products, and how to detect them.

What happens when you consume adulterated ghee and ginger-garlic paste?

Deepalakshmi, a registered dietitian at The Cleft and Craniofacial Centre, Sree Balaji Medical College & Hospital, Chennai, told indianexpress.com that ginger-garlic paste is often bulked up with starch such as maida or cornflour. "It may also contain artificial colours and preservatives to make it appear fresh and last longer. In some cases, spoiled or old ginger and garlic are reused," she explained.

Consuming such paste can cause digestive issues like gas, acidity, or diarrhoea. "Over time, it may also affect your liver and kidneys," she said. Some individuals may experience allergies, skin problems, or respiratory issues due to chemical adulterants. Moreover, when the paste is impure, it loses natural benefits such as aiding digestion, reducing inflammation, and fighting infections.

Do this ghee purity test at home (Source: Freepik)

As for **ghee**, she noted it is frequently adulterated with vanaspati, animal fat, starch, or artificial flavourings —– substances that mimic the look of pure ghee but are harmful. "Vanaspati is high in trans fats, which increase bad cholesterol and raise the risk of heart disease. It's also harder to digest and may lead to weight

gain or liver damage," Deepalakshmi warned. Regular consumption of such adulterated ghee can slowly harm the body.

Purity tests at home

According to her, there are some easy ways to check for adulteration at home. "For ginger-garlic paste, you can add a few drops of iodine to a spoonful. If it turns blue or black, starch is present. You can also put the paste in a glass of water. If white powder settles at the bottom, it likely contains maida. A sour or strange smell could mean that spoiled ingredients were used," Deepalakshmi said.

To test ghee, put a small amount in the fridge for a few hours. "Pure ghee will solidify evenly. If it forms layers or has a different texture, it may be mixed with other fats. When melted, pure ghee becomes clear. Adulterated ghee may leave residue or have an unpleasant smell," she said. To avoid these risks, always read the label and buy products from trusted brands. Look for the FSSAI mark.

दैनिक भास्कर

बरसाना में मिलावटी पनीर बनाने का भंडाफोड़:भोला डेयरी का संचालक चरन सिंह गिरफ्तार, खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई

कन्हैया लाल शर्मा | गोवर्धन3 दिन पहले

मथुरा के बरसाना में मिलावटी पनीर बनाने और बेचने के मामले में पुलिस ने एक डेयरी संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान यादव मोहल्ला निवासी चरन सिंह (32) के रूप में हुई है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह और उनकी टीम ने 2 जुलाई, 2025 को यह शिकायत दर्ज कराई थी। टीम में सहायक आयुक्त खाद्य धीरेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दलबीर सिंह और अरुण कुमार शामिल थे।

शिकायत के अनुसार, चरन सिंह यादव मोहल्ला में भोला डेयरी चलाता था। वह अपने प्रतिष्ठान में खाद्य और अखाद्य सामग्री मिलाकर पनीर बना रहा था। छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद हुआ।

इस मामले में स्थानीय पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 274 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा संख्या 226/2025 है। बरसाना पुलिस ने आरोपी को शनिदेव मंदिर के पास चिकसौली तिराहा से गिरफ्तार कर लिया।

यह कार्रवाई पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

दैनिक भास्कर

खाद्य विभाग की टीम ने कानपुर में की छापेमारी:अलग-अलग प्रतिष्ठानों से लिए 14 नमूने, जांच के लिए लैब भेजे गए सैंपल

कानपुर3 दिन पहले

कानपुर की खाद्य विभाग की टीम ने गुरुवार रात कई बड़ी प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर वहां से पनीर के नमूने लिए गए। छापेमारी के दौरान पूरी बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं प्रतिष्ठान के मालिकों को भी हिदायत दी गई कि जनता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते पाए जान

रॉयल बुलेटिन
एक अखबार – सारा संसार

मुजफ्फरनगर में मिलावटी पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़, 600 लीटर नकली दूध नष्ट, विभाग ने कसी लगाम

July 4, 2025

मुजफ्फरनगर- स्वास्थ्य सुरक्षा और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरनगर के शहाबुद्दीनपुर उत्तरी रामपुरी क्षेत्र में स्थित एक पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा। यह छापेमारी सहायक आयुक्त खाद्य **अर्चना धीरान** के नेतृत्व में की गई, जिसमें फैक्ट्री से **600 लीटर मिलावटी दूध** बरामद हुआ, जिसे तुरंत मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

हिन्दुस्तान

खराब गुणवत्ता का 134 किलो पनीर विभाग ने नष्ट कराया

Ayodhya News - अयोध्या में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कई खाद्य पदार्थों की दुकानों पर जांच की। संदिग्ध मानकर 134 किलो पनीर को नष्ट किया गया और पांच नमूने प्रयोगशाला के लिए भेजे गए। विशेष अभियान के तहत कई डेरी...

अयोध्या, संवाददाता। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कई खाद्य पदार्थों की दुकान पर जांच कर कार्रवाई की है। संदिग्ध मानकर 134 किलो पनीर को नष्ट कराया है और पांच नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। आम जनमानस को शुद्ध एवं मिलावट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के प्रयोजन से चलाये गये विशेष अभियान के अंतर्गत टीम ने यादव डेरी सोहावल चौराहा, मधुर मिलन स्वीट्स बेकर एण्ड ,फ़ास्ट फूड सोहावल चौराहा, अरफ़ात डेरी फतेहगंज , रामा डेरी फतेहगंज और पराग डेरी, अयोध्या से पनीर के एक -एक नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। अरफ़ात डेरी पर संदिग्ध गुणवत्ता का 109 किलो तथा रामा डेरी पर 25 किलो पनीर को नष्ट कराया गया है।

इसी के साथ प्रवर्तन दल द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों पर फ़ूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम किए गए तथा सम्बंधित जानकारियों के विषय में स्टीकर भी चस्पा कराये गए। प्रवर्तन दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष साहू, अजय सोनी, अनूप सिंह, जयदीप मौर्य एवं सुमित चौधरी आदि शामिल थे। --

हिन्दुस्तान

पनीर में मिलावट की आशंका, 756 किलो पनीर नष्ट किया

Hapur News - फोटो संख्या...52विभाग की टीम ने शनिवार की रात को छिजारसी टोल प्लाजा के पास पनीर लेकर जा रही एक पिकअप को रोक लिया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार की रात को छिजारसी टोल प्लाजा के पास पनीर लेकर जा रही एक पिकअप को रोक लिया। पनीर में मिलावट की आशंका पर उसको नष्ट कर दिया। आरपी गंगवार ने कहा कि पकड़ा गया वाहन चालक जिला अमरोहा के ढबारसी निवासी नीरज है। जिसने पूछताछ में बताया कि वो पनीर लेकर गाजियाबाद की तरफ जा रहा था। इसके बाद मालिक मुजाहिद को बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो तीन घंटे तक मौके पर नहीं आया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पनीर में मिलावट की आशंका के चलते नमूना संग्रहित किया गया। चालक नीरज लाइसेंस या वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका।

बाजार में पनीर की कीमत करीब दो लाख रुपये के है। कार्रवाई जारी है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट कराया 120 किलो संदिग्ध पनीर, खाद्य लाइसेंस व खरीद प्रमाण नहीं दिखा सका कारोबारी

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संभल जिले में पनीर की गुणवत्ता जांच के लिए अभियान चलाया। टीम ने गवां में एक वाहन से 120 किग्रा पनीर बरामद किया जो बिना लाइसेंस और रसीद के था। पनीर की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर 119 किग्रा पनीर नष्ट कर दिया गया और नमूना जांच के लिए भेजा गया।

UPDATED: THU, 03 JUL 2025 09:44 PM (IST)

जागरण संवाददाता, बहजोई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिले में पनीर की गुणवत्ता जांच को लेकर विशेष अभियान चलाया। जिसमें टीम ने गवां में एक मकान परिसर में खड़े वाहन की जांच की तो उसमें 120 किग्रा पनीर बिक्री के लिए रखा मिला, जिसे विभिन्न होटलों और दुकानों पर भेजा जाना था।

मौके पर मौजूद खाद्य कारोबारी विमल कुमार से जब पनीर के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह पनीर गुरुवार को ही डिबाई, जनपद बुलंदशहर से लाया गया है, लेकिन वह न तो कोई खरीद रसीद दिखा सका और न ही उसके पास खाद्य लाइसेंस था।

पनीर की गुणवत्ता संदेहास्पद पाई गई और स्वाद ठीक नहीं होने के कारण 119 किग्रा पनीर को नष्ट कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 26,180 रुपये थी। इस बीच केवल एक किग्रा पनीर का नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया।

कारोबारी द्वारा बताया गया कि वह यह पनीर होटल संचालकों को 220 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचता है।

टीम ने इसके बाद संभल तहसील क्षेत्र में दो पनीर फैक्ट्रियों पर भी छापेमारी भी की, जिसमें दीपक लक्ष्मी डेरी, गांव भदरौला और बाबूराम पनीर निर्माण इकाई, गांव सलखना का निरीक्षण किया और वहां से पनीर के नमूने संग्रहित किए।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था इसी के अंतर्गत एक सूचना पर छापेमारी की तो गवां में एक ई रिक्शा पर लगा हुआ पनीर मिला, जोकि बिना बिल और लाइसेंस के पनीर लाया गया था। हमने गुणवत्ता पर संदेह के आधार पर नमूना जांच के लिए भेजा है और शेष पनीर नष्ट कराया है। रिपोर्ट आने पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मिलावट के खिलाफ हमारी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

-डा. राहुल सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संभल।

दैनिक भास्कर

स्याना में नकली पनीर का भंडाफोड़:नमूने जांच को भेजे, खराब पनीर नष्ट किया

अमन त्यागी | स्याना (बुलंदशहर), बुलंदशहर3 दिन पहले

स्याना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली और मिलावटी पनीर के खिलाफ कार्रवाई की। यह अभियान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ और जिलाधिकारी बुलंदशहर के निर्देश पर चलाया गया।

खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि क्षेत्र में अन्य जनपद से पनीर लाया जा रहा था। जिसकी गुणवत्ता की जांच के लिए छापेमारी की गई। विभिन्न क्षेत्रों से 12 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खराब गुणवत्ता का पनीर मिलने पर उसे नष्ट कर दिया गया।

जिले में 6 टीमों का गठन किया गया। टीमों ने कांवड़ मार्ग पर स्थित रेस्टोरेंट, ढाबा और मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

इस अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ महेश कुमार, संजीत कुमार, कमलेश कुमार, राम निलन राना, सुनील कुमार, अनिल कुमार कौशल, मुनेंद्र सिंह राना, हरेंद्र कुमार और सैनेटरी सुपरवाइजर बिहारी लाल शुक्ला शामिल रहे।

हिन्दुस्तान

छापेमारी में 60 किग्रा पनीर नष्ट किया, जांच को भेजे गए नमूने

Deoria News - देवरिया में सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार सहाय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एक डेयरी फार्म पर छापेमारी की। पनीर के अधोमानक होने के संदेह में 60 किलोग्राम पनीर नष्ट किया गया। इसके अलावा,...

देवरिया, निज संवाददाता। सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) विनय कुमार सहाय के नेतृत्व में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रुद्रपुर तहसील के खोरमा गांव में एक डेयरी फार्म पर छापेमारी की। पनीर के अधोमानक होने के संदेह में अधिकारियों ने 60 किलोग्राम पनीर नष्ट करा दिया गया। सहायक आयुक्त को किसी ने रामलक्षन रोड स्थित गणेश डेयरी फार्म पर अधोमानक खाद्य पदार्थों के बिक्री की जानकारी मिली। इस पर विशेष सचल दल ने फार्म पर छापेमारी की। इसमें विक्रय के लिए रखे गये पनीर के दो नमूने, स्किम्ड मिल्क पाउडर व रिफाइंड पामोलीन ऑयल के एक-एक नमूने संग्रहित किए गए। ये नमूने जांच के लिए राजकीय खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को भेज दिये गये।

फार्म पर रखे गये असुरक्षित व अधोमानक लगभग 60 किलोग्राम पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया दिया गया। साथ ही, प्रतिष्ठान में रखे गये 1.48 लाख रुपये के 371 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर व पांच हजार रुपये के 28 किलो रिफाइंड पामोलीन ऑयल को मिलावटी होने के संदेह में जब्त कर लिया गया। इस अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा त्रिपाठी, घनश्याम वर्मा व श्री राजू पाल शामिल रहे।

जागरण

बरसाने में डेयरी पर बन रहा था मिलावटी पनीर, खाद्य विभाग ने मारा छापा; 1100 kg तैयार माल जब्त

मथुरा के बरसाना में खाद्य विभाग ने भोला डेरी पर छापा मारकर मिलावटी पनीर बनाने का खुलासा किया। टीम ने 4200 लीटर सामग्री और 1100 किलो पनीर जब्त किया। बिना लाइसेंस के चल रही डेरी से नमूने लिए गए। पुलिस ने संचालक को हिरासत में लिया। यह पनीर मुड़िया मेला में खपाने की तैयारी थी। नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है।

UPDATED: WED, 02 JUL 2025 08:48 PM (IST)

जागरण संवाददाता, मथुरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को बरसाना में छापेमारी करते हुए मिलावटी पनीर बनाने वाली भोला डेरी का भंडाफोड़ किया है। विभागीय टीम ने मौके से पनीर बनाने वाली 4200 लीटर सामग्री और 1100 किलो तैयार पनीर मिला है।

टीम ने बिना लाइसेंस चल रही इस डेरी से छह नमूने लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए डेरी संचालक को हिरासत में लिया है।

गोवर्धन मुड़िया मेला में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम में लगे सहायक आयुक्त खाद्य धीरेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह को दो दिन पहले सूचना मिली कि बरसाना में हाथिया-रूपनगर मार्ग स्थित भोला डेरी पर मिलावटी पनीर तैयार किया जा रहा है।

इसके बाद अधिकारियों ने पहले गोपनीय तरीके से डेरी की रेकी कराई। सूचना सही पाए जाने पर बुधवार को विभागीय टीम ने डेरी पर छापा मारा। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस को भी बुलवा लिया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी जब डेरी के अंदर घुसे तो उस समय वहां पनीर बनाया जा रहा था। जब सहायक आयुक्त ने डेरी संचालक चरन सिंह से लाइसेंस मांगा तो वह नहीं दिखा सका।

मौके से पनीर निर्माण में काम आने वाला 3800 लीटर स्किम्ड मिल्क, 60 लीटर मिश्रित दूध, पनीर बनाने का 40 लीटर घोल, 195 लीटर रिफाइंड पामोलीन, 80 किलो सोयाबीन पावडर, सात किलो चूने का घोल, 30 लीटर एसीटिक एसिड, 25 लीटर हाइड्रोजन पर आक्साइड और 1100 किलो तैयार पनीर जब्त किया गया।

टीम ने वहां से छह नमूने लिए। इनमें पनीर के दो, रिफाइंड पामोलीन का एक, चूने के घोल का एक, पनीर बनाने के घोल का एक और मिश्रित दूध का एक नमूने लिए गए। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने डेरी मालिक चरन सिंह निवासी यादव मुहल्ला, बरसाना देहात, बरसाना को हिरासत में लिया है।

मुड़िया मेला में दुकानों पर पहुंचता मिलावटी पनीर

अगर बरसाना में मिलावटी पनीर बनाने वाली इस डेरी का भंडाफोड़ न हुआ होता तो इसी सप्ताह समीपवर्ती गोवर्धन में आयोजित होने जा रहे मुड़िया मेला में मिलावटी पनीर की बड़े पैमाने पर सप्लाई होती। मेले में गोवर्धन कस्बे की दुकानों पर हजारों किलो पनीर इसी डेरी से तैयार कराकर खपाया जाता।

पूछताछ में चरन सिंह ने बताया कि वह पहले पनीर बनाने का काम करता था, लेकिन फिर छोड़ दिया। अब चार-पांच दिन पहले ही फिर से पनीर बनाने का काम शुरू किया है। माना जा रहा है कि गोवर्धन के मुड़िया मेला के चलते ही चरन सिंह ने अचानक इस काले कारोबार को शुरू किया है।

मिलावटी पनीर बनाने वाली डेरी से जो नमूने लिए गए है, वे जांच को भेजे गए हैं। उनका परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किन किन पदार्थों को पनीर बनाने में प्रयोग किया जाता था और उनके क्या क्या तत्व हैं।

- डीपी सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य

हिन्दुस्तान

छापा मारकर 380 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया

Kanpur News - छापा मारकर 380 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया छापा मारकर 380 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया

Thu, 3 July 2025 09:03 PM

कानपुर। धड़ल्ले से बिक रहे मिलावटी पनीर को लेकर गुरुवार को पूरे शहर में छापेमारी हुई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में उन्नाव में रिफाइंड व मिल्क पाउडर मिलाकर तैयार किया जा रहा मिलावटी पनीर शहर में धड़ल्ले से खपाया जा रहा है। 350 से 400 रुपये किलो बिकने वाला पनीर को मिलावट करके 200 से 225 रुपये में बेचा रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने 380 किलो पनीर नष्ट कराकर 14 सैंपल लिए हैं। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय संजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में शहर में धड़ल्ले से बेचे जा रहे मिलावटी पनीर को लेकर छापेमारी हुई।

खाद्य विभाग की टीम ने कलक्टरगंज, न्यू सब्जी मंडी, लालबंगला, गुरुदेव के पास, न्यू गंगापुल, बिठूर, माल रोड, घाटमपुर और सब्जी मंडी जनरलगंज में छापेमारी की गई। टीम ने जांच के दौरान 14 सैंपल लिए। करीब एक लाख रुपये का 380 किलोग्राम पनीर नष्ट कराया गया। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय ने बताया कि सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। लगातार मिलावटी पनीर को लेकर अभियान चलेगा, जिससे कम दाम पर बेच रहे मिलावटी पनीर पर नकेल लगाई जा सके।

दैनिक भास्कर

अलीगढ़ में एफडीए की छापेमारी:पनीर और मावा बाजार में जांच, एक दुकान से खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए

संजीव प्रताप | कोल1 दिन पहले

यूपी के जिला अलीगढ़ में शनिवार को एफडीए की टीम ने छापेमारी की। टीम ने कई दुकानों को चेक दिया। शक होने पर टीम ने एक दुकान से खाद्य पदार्थ का सेम्पल भरकर जांच के लिए लेब भेज दिया। एफडीए की कार्रवाई से बाजार में खलबली मच गई । अधिकारियों ने कहा ये कार्रवाई जारी रहेगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा।।

बता दें आने वाले दिनों में सावन माह शुरू होने वाला है। साथ ही रक्षाबंधन भी है। इसी को भुनाने के लिए मिलावट खोर सक्रिय हो चुके हैं। इसके चलते खाद्य सुरक्षा आयुक्त यूपी के निर्देश पर शनिवार को एफडीए की टीम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरी रोकने के लिए अभियान चलाया।

अलीगढ़ के सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय जायसवाल ने अपनी टीम के साथ थाना गांधीपार्क के अचलताल स्थित मार्केट में छापेमार कार्रवाई की। यहां पनीर और मावे का बड़ा बाजार लगता है। प्रतिदिन यहां से कुंटलो पनीर और मावा बेचा जाता है।

श्री जायसवाल ने बताया कि शनिवार को एफडीए टीम ने दुकानों पर जांच की। एक दुकान पर पनीर अधो मानक प्रतीत हुआ। जिसके बाद टीम ने सेम्पल लेकर जांच के लिए लेब भेज दिए। जनपद में छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

जागरण

रिफाइंड और पामोलीन आयल से बना रहे पनीर, दूध में पड़े मिले मक्खी-मच्छर; डेयरी संचालक सहित तीन गिरफ्तार

अमरोहा में खाद्य विभाग ने मिलावटी पनीर और दूध बनाने वाली डेयरी पर छापा मारा। रिफाइंड और पामोलीन तेल से पनीर बनाया जा रहा था और दूध में मक्खी-मच्छर मिले। डेयरी संचालक सहित तीन लोग गिरफ्तार हुए। मौके पर 500 लीटर दूध नष्ट किया गया और पनीर रिफाइंड तेल क्रीम और मिल्क पाउडर जब्त किया गया।

UPDATED: FRI, 04 JUL 2025 11:53 PM (IST)

जागरण संवाददाता, अमरोहा। औद्योगिक नगरी में खाद्य सामग्री तैयार करने के नाम पर सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। हाल ही में प्रतिबंधित सरसों व रिफाइंड का तेल पकड़ने की कार्रवाई को भूले नहीं थे कि अब एक डेयरी पर मिलावटी पनीर व दूध पकड़ा गया है।

वहां पर रिफाइंड और पामोलीन आयल से पनीर तैयार किया जा रहा था और दूध में मक्खी और मच्छर पड़े हुए मिले हैं। इस पर प्राथमिकी दर्ज कर डेयरी संचालक सहित तीन को गिरफ्तार कर चालान भी किया है।

शुक्रवार को खाद्य सहायक आयुक्त विनय कुमार को सूचना मिली गजरौला क्षेत्र में फाजलपुर फाटक के पास इरफान निवासी गांव मोहरका पट्टी थाना गजरौला अपने भाई इंशाल्लाह एवं नौकर चमन निवासी कुदैनी चक के साथ अपमिश्रित दूध से अवैध पनीर व खाद्य पदार्थ बना रहे हैं।

सहायक आयुक्त विनय कुमार अपनी टीम एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां पर दूध में मक्खी-मच्छर पाए गए। सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर खाद्य कारोबारकर्ता को चेतावनी देते हुए 500 लीटर दूध को नष्ट करा दिया गया।

50 किलो पनीर, 11 लीटर रिफाइंड, पामोलीन आयल, लगभग 12 किलो क्रीम, मिल्क पाउडर लगभग पांच किलो मौके पर मिले। डेयरी संचालक ने रिफाइंड और पामोलीन तेल एवं मिल्क पाउडर से दूध में मिलावट कर पनीर बनाने की बात स्वीकार की है।

सभी सामग्री को नष्ट करवाते हुए पांच नमूने भी लिए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान ने बताया कि अवैध रूप से पनीर बनाने की फैक्ट्री को संचालित करने वाले इरफान एवं इंशाअल्लाह एवं चमन का चालान किया गया है।

गजरौला में डेयरी पर जिस पदार्थ को मिलाकर पनीर को बना रहे थे। वो, सेहत के लिए खतरनाक है। डेयरी संचालक ने एक महीने पहले पंजीकरण कराया था। उसे अब रद कर दिया गया है। जो, सैंपल लिए गए हैं। उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी। बाकी मौके पर मिले मिलावटी दूध, पनीर आदि को नष्ट कराया गया।

-विनय कुमार, सहायक आयुक्त खाद्य विभाग, अमरोहा।

12 वाद किए गए दायर, पांच लाख का जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान

सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय विनय कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई से पहले पनीर एवं दूध के नमूनों को मानक के अनुरूप न पाये जाने पर न्याय निर्णयक अधिकारी अमरोहा के न्यायालय में 12 वाद दायर किए गए हैं।

सभी प्रकरण में पनीर निर्माता एवं दूध डेरी मालिकों के विरूद्ध कुल 12 मुकदमें न्यायालय अपर जिलाधिकारी अमरोहा में दायर हैं। अवमानक खाद्य पदार्थ निर्माण अथवा विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत 5 लाख रूपये तक अर्थदंड का प्राविधान है। दूध अथवा दुग्ध पदार्थों में विजातीय वसा या कोई अपमिश्रक हानिकारक पदार्थ की मिलावट पाये जाने पर अर्थदंड के साथ-साथ कारावास की सजा का भी प्राविधान है।

Telangana Today
FOR LOCAL TO GLOBAL NEWS

Hyderabad: Rachakonda police bust food adulteration racket, 52 held

Rachakonda police booked 46 cases and arrested 52 people during raids on food adulteration units. Items like fake ghee, paneer, and ginger garlic paste were seized. Authorities also found counterfeit packaging and banned synthetic colours being used

BY TELANGANA TODAY

UPDATED ON - 3 JULY 2025, 04:40 PM

Hyderabad: The Rachakonda police conducted a special drive against food adulteration racketeers and booked 46 cases on Wednesday. A total of 52 people were arrested in the cases.

According to Rachakonda Commissioner of Police G Sudheer Babu, special teams comprising the Special Operations Team, local police, and Armed

Reserve conducted simultaneous raids on premises where adulterated food items were processed.
"During the raids, several violations were noticed in addition to unhygienic preparation of food products. The violations included no FSSAI licence, sale without trade licence, without manufacturing or expiry dates, and use of banned synthetic food colours," said G Sudheer Babu.

The police found that many of the manufacturers were affixing counterfeit labels of reputed brands on the product packages and selling them in the market.

The police seized 575 litres of adulterated ghee, 7,000 litres of ginger garlic paste, 35 kilograms of adulterated paneer, and immunity-boosting tablets and powder worth Rs 10 lakh.

The police also seized some quantities of dhaniya powder, milk, turmeric powder, bakery items, biscuits, sweets, and ice creams.

बरसाना में डेरी पर बन रहा था मिलावटी पनीर, 11 कुंतल जब्त

जहर के सौदागर

- खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने डेरी संचालक पकड़ा
- पनीर बनाने वाली 4200 लीटर सामग्री और 1100 किलो तैयार पनीर जब्त

बरसाना के रूपनगर में मिलावटी पनीर बनाने वाली डेयरी पर नमूने लेती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम • सौ. विभाग द्वारा

जागरण संवाददाता, मथुरा : जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार करने पर रोक नहीं लग पा रही है। देश-दुनिया के श्रद्धालुओं का केंद्र बने राधारानी के बरसाना में भी बड़े पैमाने पर मिलावटी पनीर तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने यहां भोला डेरी में छापा मारा तो दंग रह गई। यहां 11 कुंतल मिलावटी पनीर तैयार रखा था। 42 लीटर पनीर बनाने की सामग्री भी जब्त की गई। बिना लाइसेंस चल रही डेरी से छह नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर डेरी संचालक पर रिपोर्ट दर्ज की गई।

गोवर्धन मुड़िया मेला में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम में लगे सहायक आयुक्त खाद्य धीरेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह को दो दिन पहले सूचना मिली कि बरसाना में हाथिया-रूपनगर मार्ग स्थित भोला डेरी पर मिलावटी पनीर तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों ने पहले गोपनीय तरीके से डेरी की रेकी कराई। सूचना सही पाए जाने पर बुधवार को विभागीय टीम ने डेरी पर छापा मारा। पुलिस भी मौके पर बुला ली। टीम जब अंदर घुसी तो उस समय वहां पनीर बनाया जा रहा था। सहायक आयुक्त ने डेरी संचालक चरन सिंह से लाइसेंस मांगा तो वह नहीं दिखा सका। मौके से पनीर निर्माण में काम आने वाला 3800 लीटर स्किम्ड मिल्क, 60 लीटर मिश्रित दूध, पनीर बनाने का 40 लीटर घोल, 195 लीटर रिफाइंड पामोलीन, 80 किलो सोयाबीन पाउडर, सात किलो चूने का घोल, 30 लीटर एसीटिक एसिड, 25 लीटर हाइड्रोजन पर आक्साइड और 1100 किलो तैयार पनीर जब्त किया गया। टीम ने वहां से छह नमूने लिए। इनमें पनीर के दो, रिफाइंड पामोलीन का एक, चूने के घोल का एक, पनीर बनाने के घोल का एक और मिश्रित दूध का एक नमूने लिए गए। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने डेरी मालिक चरन सिंह निवासी यादव मुहल्ला, बरसाना देहात, बरसाना को हिरासत में लिया है।

मुड़िया मेला में दुकानों पर पहुंचता मिलावटी पनीर

जासं, मथुरा : अगर बरसाना में मिलावटी पनीर बनाने वाली इस डेरी का भंडाफोड़ न हुआ होता तो इसी सप्ताह समीपवर्ती गोवर्धन में आयोजित होने जा रहे मुड़िया मेला में मिलावटी पनीर की बड़े पैमाने पर सप्लाई होती। मेले में गोवर्धन कस्बे की दुकानों पर हजारों किलो पनीर इसी डेरी से तैयार कराकर खपाया जाता। पूछताछ में चरन सिंह ने बताया कि वह पहले पनीर बनाने का काम करता था, लेकिन फिर छोड़ दिया। अब चार-पांच दिन पहले ही फिर से पनीर बनाने का काम शुरू किया है। माना जा रहा है कि गोवर्धन के मुड़िया मेला के चलते ही चरन सिंह ने अचानक इस काले कारोबार को शुरू किया है।

> मिलावटी पनीर बनाने वाली डेरी से जो नमूने लिए गए है, वह जांच को भेजे गए हैं। उनका परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किन किन पदार्थों को पनीर बनाने में प्रयोग किया जाता था और उनके क्या क्या तत्व हैं।
>
> डीपी सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य

दैनिक
नगर संवाद

संक्षेप

ानियंत्रित बाइक से पीछे बैठी महिला नीचे गिरी, हुई मौत

वाददाता

सुमेरपुर, उन्नाव। थाना बिहार न्तर्गत बाइक अनियंत्रित हो जाने पर के साथ खेत जा रही माँ की सड़क गिरने से मौत हो गयी। पुलिस ने व को कब्जे में कर पोस्टमार्टम हेतु न दिया है। थाना क्षेत्र के आकमपुर वासिनी शिवकली पत्नी छेदी लाल 45 वर्ष अपने बेटे के साथ खेत ने के लिए बाइक से निकली। कुछ पर रोड पर बने ब्रेकर में बाइक छल गयी जिससे पीछे बैठी शिवकली इक पर गिर पड़ी व सर में गंभीर चोट ने से मौके पर ही मौत हो गयी। मौत सूचना पाकर परिजनों में कोहराम व गया। पुलिस को सूचना दिए जाने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वंगत के दो पुत्र अनुज व मनोज व दो त्रयां रोशनी व अंजली है जो कि सभी वेवाहित है।

हेला ने अपने ससुरालीजनो पर गाया मारपीट करने का आरोप

वाददाता

मिलावटी पनीर बेचने व बनाने वाले के खिलाफ की गयी कार्यवाही

राधाकृष्ण शुक्ला 'उमेश'

कानपुर (नगर संवाद)। आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पनीर उपलब्ध कराये जाने तथा मिलावट पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के आदेशानुसार एवं संजय प्रताप सिंह, सहायक खाद्य आयुक्त -2 के अनुपालन में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रमुख आवागमन मार्गों (नाको) पर अभिसूचना के आधार पर पनीर विक्रय हेतु ले जा रहे वाहनों की गहन जांच तथा पनीर निर्माण/विक्रय इकाइयों से नमूना संग्रहण की कार्यवाही की गई। इस विशेष अभियान के अंतर्गत दिनांक 03.07.2025 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से पनीर के नमूने संग्रहित किये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है:कलेक्टर गंज, न्यू सब्जी मण्डी लालबंगला, गुरुदेव चौराहा के पास, न्यू गंगा पुल बिठूर, माल रोड, केसरवानी सब्जी मण्डी जनरल गंज एवं घाटमपुर से पनीर के कुल 14 नमूने जांच हेतु संग्रहीत किये गये।01- गुरूदेव के पास, कानपुर नगर 30 कि.ग्रा. 7,200/-

02- पनीर गुरूदेव के पास, कानपुर नगर 90 कि.ग्रा. 21,600/-

03-पनीर गुरूदेव के पास, कानपुर नगर 70 कि.ग्रा. 16,800/-

04-पनीर न्यू गंगापुल, बिठूर 50 कि.ग्रा. 10,500/-

05-पनीर न्यू गंगापुल, बिठूर - -

06- पनीर माल रोड स्थित प्रतिष्ठान - -80 किलो मूल्य 20000 का जब्त किया गया।

07-पनीर केशरवानी, सब्जी मंडी, जनरलगंज 60 कि.ग्रा. 14,400/- का पनीर विनष्ट करा दिया गया।

कुल 14 नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही की जाएगी।

अभिसूचना के आधार पर कुल 380 कि.ग्रा. पनीर जब्त/विनष्ट किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 90,500/- है।

पानी भरे तालाब में डूबने से युवक की हुई मौत

संवाददाता

की आशंका पर तत्काल गांव के अन्य

ती
माल

संवाददाता

सफीपुर केंद्र सफीपुर वर्ष पूर्ण हो शिक्षकों द्वा स्वागत कि उनका कहन किए जा रहे बेसिक शिक्ष है उन्होंने घ कारणों से बालिकाओं उपस्थिति आवश्यकत शाह के ब्ल वर्ष पूर्ण कर कार्यालय प सम्मानित परस्पर सह दिया। शि

मोहर्रम के पर्व को लेकर

अखबार–राष्ट्रीय सहारा
दिनांक–04.07.2025
पेज न0–05

मिलावट की आशंका पर नष्ट कराया 380 किलो पनीर

मिलावट की आंशका पर जप्त किए पनीर को नष्ट करती खाद्य विभाग की टीम।

रास्ते में वाहनों की चेकिंग व कई दुकानों में छापेमारी कर पकड़ा

शहर में अलग-अलग स्थानों से 14 नमूने लेकर जांच को भेजा

कानपुर (एसएनबी)। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने अलग-अलग स्थानों से वाहनों पर ले जाए जा रहे और दुकानों से मिलावट की आशंका पर तीन कुंटल 80 क़िलो ग्राम पनीर को जब्त कर उसे नष्ट कराया। नष्ट कराए गए पनीर का बाजार मूल्य करीब नब्बे हजार 500 रुपये बताया गया है। वहीं, अलगं-अलग स्थानों से टीम ने पनीर के 14 नमूने लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुवार को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इसके तहत जनपद के प्रमुख मार्गों पर सूचना के आधार पर पनीर बेचने के लिए ले जा रहे वाहनों की जांच और पनीर निर्माण-विक्रय इकाईयों से नमूना लेने की कार्रवाई की गई। टीम ने विभिन्न स्थानों से पनीर के नमूने संग्रहित किए। न्यू सब्जी मंडी लाल बंगला से 72 सौ रुपये अनुमानित कीमत का 30 किलो पनीर नष्ट कराया गया। गुरुदेव के पास से 21600 रुपये अनुमानित कीमत का 90 किलो पनीर नष्ट कराया गया। न्यू गंगापुल बिठूर से बेचने के लिए ले जाए जा रहे 27300 रुपये अनुमानित कीमत का 120 किलो पनीर नष्ट कराया गया। केसरवानी सब्जी मंडी जनरलगंज से 14400 रुपये अनुमानित कीमत का 60 किलो पनीर नष्ट कराया गया। टीम ने अलग-अलग स्थानों से 14 नमूने लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजा है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय श्री सिंह ने बताया कि गुरुवार को विभिन्न स्थानों से मिलावट की आशंका पर 380 किलोग्राम पनीर को जब्त कर नष्ट कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला भेजे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अखबार–हिन्दुस्तान
दिनांक–04.07.2025
पेज न0–09

380 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया

छापा

- उन्नाव में रिफाइंड और मिल्क पाउडर से बनाया मिलावटी पनीर
- 400 वाले पनीर में मिलावट कर 200 से 225 रुपये में बेच रहे

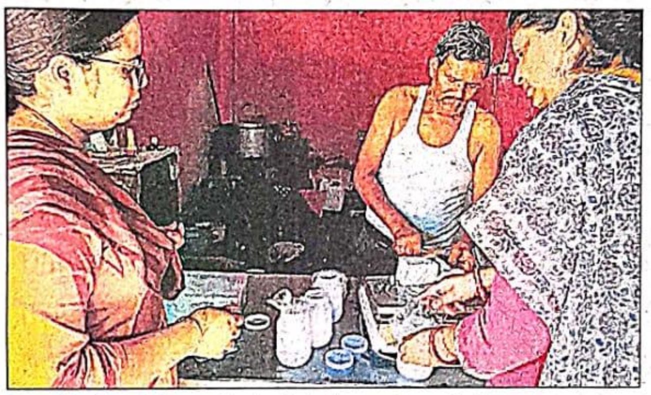

मिलावटी पनीर को लेकर हुई छापेमारी के दौरान जांच करती टीम।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। धड़ल्ले से बिक रहे मिलावटी पनीर को लेकर गुरुवार को पूरे शहर में छापेमारी हुई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में उन्नाव में रिफाइंड व मिल्क पाउडर मिलाकर तैयार किया जा रहा मिलावटी पनीर शहर में धड़ल्ले से खपाया जा रहा है। 350 से 400 रुपये किलो बिकने वाला पनीर को मिलावट करके 200 से 225 रुपये में बेचा रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने 380 किलो पनीर नष्ट कराकर 14 सैंपल लिए हैं।

सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय संजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में शहर में धड़ल्ले से बेचे जा रहे मिलावटी पनीर को लेकर छापेमारी हुई। खाद्य विभाग की टीम ने कलक्टरगंज, न्यू सब्जी मंडी, लालबंगला, गुरुदेव के पास, न्यू गंगापुल, बिठूर, माल रोड, घाटमपुर और सब्जी मंडी जनरलगंज में छापेमारी की गई। टीम ने जांच के दौरान 14 सैंपल लिए। करीब एक लाख रुपये का 380 किलोग्राम पनीर नष्ट कराया गया। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय ने बताया कि सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। साथ ही बताया कि लगातार मिलावटी पनीर को लेकर अभियान चलेगा, जिससे कम दाम पर बेच रहे मिलावटी पनीर पर नकेल लगाई जा सके।

अधिकतम तापमान 36.00° » न्यूनतम तापमान 16.00° » सूर्योदय 05:14 » सूर्यास्त 06:46 » डॉलर 85.34 » यूरो 100.59 »

छोटीबड़ीबात
आज ही के दिन 1963 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' के अभिकल्पक पिंगलि वेंकय्या का निधन हुआ था।

dainikbhaskarup.com bhaskardigital.com
क्यूआर कोड स्कैन कर पढ़ें ताजा खबरें

दैनिक भास्कर

देश का विश्वसनीय अखबार

नोएडा। वर्ष-16, अंक-18। शुक्रवार, 04 जुलाई 2025। कुल पृष्ठ 22। मूल्य 6.00 रुपये

झांसी, नोएडा, लखनऊ और देहरादून से प्रकाशित

मथुरा में फैक्ट्री के अंदर घातक रसायनों से तैयार किया जा रहा था पनीर

फैक्ट्री में सोयाबीन पाउडर, चूने का घोल, एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन पेराक्साइड जैसे रसायन का भंडार मिला

भास्कर ब्यूरो

मथुरा। मथुरा में बेहद खतरनाक तरीके से स्वास्थ्य के लिए घातक रसायनों से हजारों किलो पनीर प्रतिदिन फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इनपुट मिलने के बाद जाल बिछाया और फैक्ट्री पर पुलिस की मौजूदगी में दलबल के साथ छापामार। छापेमारी कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख कर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में शामिल अधिकारी भी अचंभित रह गये। संचालक के पास इस तरह का कारोबार करने के लिए किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था। बरसाना में संचालित इस अवैध फैक्ट्री से 1100 किलो पनीर जब्त किया गया जबकि खाद्य सुरक्षा टीम ने कारखाने में की छापेमारी के दौरान 6 सैंपल लिए जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जनपद के अलग अलग स्थान पर छापामार कार्रवाई की है। बरसाना स्थित एक पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। सहायक आयुक्त धीरेंद्र प्रताप सिंह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान टीम को परिसर में पनीर का निर्माण होते हुए मिला। फैक्ट्री में खाद्य व्यवसाय के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं था। टीम ने मौके से 3800 लीटर रिकॉम्बाइंड मिल्क, 60 किलो मिश्रित दूध और लगभग 1100 किलो तैयार पनीर जब्त किया। इसके अलावा फैक्ट्री से रिफाइंड के 13 टिन सोयाबीन पाउडर, 13 टीन प्रत्येक टीन में 15 लीटर रिफाइन पामोलीन था। प्लास्टिक के डिब्बे में सात किलो चूने का घोल, पनीर बनाने के लिए एक ड्रम में 40 किलो मिश्रति घोल, एक कैन में 30 लीटर एसिडिक ऐसिड, 25 लीटर हाइड्रोजन पर आक्साइड आदि सामान बरामद किया। कार्यवाही करने वाली टीम में सहायक आयुक्त खाद्य धीरेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दलवीर सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरूण कुमार आदि थे।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने कुल 6 नमूने लिए। इनमें पनीर के 2 नमूने, रिफाइंड तेल का 1 नमूना, चूने के घोल के 2 नमूने और पनीर बनाने में प्रयुक्त घोल का 1 नमूना शामिल है। सभी नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।

हिन्दुस्त

बरसाना में 11 क्विंटल मिलावटी पनीर कराया नष्ट

मथुरा/बरसाना, हिन्दुस्तान संवाद। बुधवार को सहायक आयुक्त (खाद्य) धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने बरसाना क्षेत्र में अभियान चलाया। यहां मिली एक सूचना पर टीम ने रूप नगर स्थित भोला डेयरी का निरीक्षण किया।

खाद्य कारोबारकर्ता चरन सिंह मौजूद था। स्थिति को देख 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया गया। परिसर में पनीर निर्माण कार्य होता मिला। पनीर निर्माण संबंधी लाइसेंस मांगा गया तो वह नहीं दिखा सका। टीम ने मौके पर परिसर में पनीर निर्माण हेतु करीब 3800 लीटर स्किम्ड मिल्क, 60 किलो मिश्रित दूध, पनीर बनाने हेतु घोल करीब 40 किलो, रिफाइंड पामोलीन के 13 टीन, एक ड्रम में करीब 80 किलो सोयाबीन पाउडर, सात किलो चूने का घोल, एक केन में करीब 30 लीटर एसीटिक एसिड, एक नीले केन में करीब 25 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड एवं करीब 1100 किलो तैयार पनीर मिला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेन्द्र सिंह ने थाना बरसाना में इस मामले में तहरीर दी है। टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञान पाल सिंह, दलवीर सिंह, अरुण कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व टीम ने 56 खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे थे।

> मुड़िया मेला के दृष्टिगत खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि मेला अवधि में आने वाले श्रद्धालुओं को गुणवत्तायुक्त एवं ताजे खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएं। अपने प्रतिष्ठानों में दृश्य स्थान पर अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण अवश्य प्रदर्शित करें और खाद्य पदार्थ की रेट लिस्ट लगाएं। खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करते समय हैड कैप, एप्रिन, हैन्डग्लब्स का प्रयोग करें। टीम ने बरसाना में छह खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे और करीब 11 क्विंटल मिलावटी पनीर नष्ट कराया। यह अभियान जारी रहेगा।
>
> **धीरेन्द्र प्रताप सिंह**, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग

[redacted]

BIGGEST ACTION TAKEN BY FOOD DEPARTMENT IN BARSANA SO FAR

1100 kg of adulterated cheese and 9 tins of refined oil destroyed from Charan Yadav's dairy, 23 tins were also found empty

Action taken under the leadership of Assistant Commissioner (Food) Dhirendra Pratap Singh, administration's strong attack on playing with the health of devotees

JEEVAN EXPRESS BUREAU

Mathura. Carrying out the biggest action against adulteration in the religious city of Barsana, the team of the District Food Safety and Drug Administration destroyed 1100 kg of adulterated cheese and 9 tins of refined oil on the spot from the dairy of Charan Yadav son of Kamal Singh Yadav located in Roop Nagar. Apart from this, 23 tins were recovered in empty state, whose use is considered suspicious.

This action was taken under the leadership of Assistant Commissioner (Food) Shri Dhirendra Pratap Singh, whose strict working style and vigilance has become an example for food safety in the Braj region. Chief Food Safety Officer Shri Gyanpal Singh and Food Safety Officers Shri Jitendra Singh, Arun Kumar and Dalbir Singh were present with him on the spot.

Playing with the faith and health of devotees will not be tolerated – Dhirendra Pratap Singh

During the action Mr Singh said,

"The sanctity of Brajbhoomi and the sentiments of the devotees will not be allowed to be tampered with at any level. Trading of adulterated food items at a pilgrimage site like Barsana is not only against the law, but it is also a moral and cultural crime."

For some time now, he was continuously receiving complaints regarding the sale of poor quality and substandard sweets in Barsana, due to which this major action was taken.

95% adulteration in Goverdhan has been stopped

Under the supervision of Assistant Commissioner (Food) Dhirendra Pratap Singh, 95% of adulterated sweets have been effectively banned in the Govardhan area. He himself conducts regular inspections and checks the quality of food establishments and does not hesitate to take legal action as required.

He clearly said that,

"Wherever adulteration, non-standardisation or violation of rules is found, prosecution, sealing of establishment, financial penalty and cancellation of licence will be initiated."

Complaint submitted to police, accused in custody

After the action, the departmental officials filed a formal complaint in Barsana police station and handed over the accused Charan Yadav to the police, who was taken to the police station and further legal proceedings were initiated.

The department is committed to ensuring food security

Dhirendra Pratap Singh clarified that the department's intention is not only to take punitive action but also to ensure the availability of pure, safe and quality food items in public interest. He also appealed to the general public to immediately inform if there is a suspicion of adulteration at any place.

एफएसएसएआई
fssai
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India

सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health and Family Welfare
GOVERNMENT OF INDIA

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002
FDA BHAWAN, KOTLA ROAD, NEW DELHI - 110002

Connect with FSSAI

FSSAI @fssaiindia www.fssai.gov.in FSSAI